

14  $\frac{5}{25}$

पत्रावली पेश। वकील वादी लाबिर।  
पत्रावली में पूर्व में भी वकील  
वादी को अनन्तिम हिदायत की गई  
थी कि आगामी पेशी पर तामिल  
की रसीदें पेश करें, अन्यथा आदेश  
9 नियम 5 के तहत आदेश पारित  
क्रिया जायेगा लेकिन वकील वादी  
ने आज दिनांक तक तामिल की  
रसीदें पेश नहीं की। अतः वादी  
का बाप आदेश 9 नियम 5 के  
तहत खारिज क्रिया जाता है। पत्रावली  
फैसल नुमार होकर नम्बर से कम  
होकर दाखिल वफतार है।

उपग्रन्थ अधिकारी  
दातारामगढ (सीकर)